

पाँचवा-कृतम्



30 CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 13, अंक 1/2012

... कैसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार
सौ फीसदी लोग भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं 'इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब भुगत रहे हैं'। लेकिन उन्हें अफसोस इस पर है कि केन्द्र और राज्य सरकारें इस सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगी हैं। सरकारें सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का राग तो अलापती है, जबकि असलियत इससे कोर्सों दूर है। हाल ही कट्स द्वारा किए गए हालात सर्वे में लोगों के ऐसे कई विचार उभरकर सामने आए हैं।

गरीबों के लिए बनी महानरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धड़ल्ले से हो रही लूट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गरीबों के नाम पर चलाई गई 40 हजार करोड़ रुपए की सबसे बड़ी योजना का हश देंखे, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस योजना में 55 फीसदी ही हकदारों तक पहुंचता है। यानि करीब 16 से 17 हजार करोड़ रुपए हकदारों तक नहीं पहुंचते। लोगों का कहना है कि हालात तो इससे कई गुना बदतर है।

यही हाल गरीबों के लिए बनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। राजस्थान में गरीबों के केरोसिन तेल में ही करोड़ों का खेल सामने आया। राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट बताती है कि आवंटित हुए 51 करोड़ लीटर केरोसिन में से 30 करोड़ लीटर कालाबाजारी के भेट चढ़ जाता है। इस घोटाले की रकम हर साल करीब 921 करोड़ रुपए होती है।

भ्रष्टाचार से भारत की छवि विदेशों तक में खराब है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि भारत में लगातार पारदर्शिता घट रही है। भारत पहले 72वें स्थान पर था, जो अब पारदर्शिता के घटते 95वें स्थान पर आ गया है। इसके लिए पिछले दिनों सामने आए बड़े घोटाले, काला धन उजागर करने और जनलोकपाल पर नातुकुर सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन सरकार को इनकी जरा भी चिन्ता नहीं है?

इस अंक में...

■ गरीबों के तेल में 921 करोड़ का खेल	4
■ देश में नेताओं का नैतिक पतन	5
■ भ्रष्टों के खिलाफ कोर्ट का अहम फैसला	6
■ योजना आयोग ने भर दी झोली	7
■ सौर ऊर्जा आवंटन में प्रदेश सबसे आगे	8

महानरेगा योजना की कमियों को दूर करना आवश्यक

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य एवं राजस्थान योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी.एस.व्यास ने कहा है कि महानरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है। पूरे विश्व में इस तरह की रोजगार देने वाली योजना नहीं है, जिसमें 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित किया गया हो। उन्होंने योजना में आने वाली बाधाओं और विफलताओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समय पर यदि योजना के क्रियान्वयन में सुधार नहीं लाए गए तो यह योजना दम तोड़ देगी।




उन्होंने उक्त विचार 'कट्स' द्वारा 14 मार्च को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार एवं पैरवी बैठक में मुख्य अतिथि रूप में व्यक्त करते हुए योजना में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक में राज्य विधानसभा सदस्य राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में विधायकों व सांसदों द्वारा किए गए विकास कार्यों की जिम्मेदारी किसी भी विभाग के द्वारा नहीं ली जा रही। इससे करोड़ों रुपए व्यर्थ चले जाते हैं। प्रदेश में एक ऐसा तंत्र स्थापित होना चाहिए जो इन विकास कार्यों का लेखा-जोखा तैयार कर सके।

इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एम.एल.मेहता ने मुशासन की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके मुख्य घटक जन सहभागिता, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं व आमजन तक सूचनाओं की पहुंच है। उन्होंने संसद व विधानसभाओं में घटते कार्यकाल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेहिता कम होती जा रही है।

इन्स्टीट्यूट ऑफ डिवलपमेंट स्टडीज के निदेशक सुरजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने महानरेगा की मूल्यांकन रिपोर्टें और महाराष्ट्र मॉडल से कोई सीख नहीं ली, जिसका परिणाम है कि आमजन में महानरेगा के प्रति स्वामित्व की भावना का अभाव है।

कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि कट्स द्वारा सुशासन की दिशा में प्रयुक्त किए गए कम्यूनिटी स्कोर कार्ड जैसे उपकरणों के प्रयोग से किस प्रकार विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित सुधार सामने आए हैं। कार्यक्रम में सरकारी विभागों व मीडिया प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के 66 स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



भ्रष्टों के खिलाफ कोर्ट का अहम फैसला

मंत्रियों, सरकारी अफसरों-नौकरशाहों पर केस चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच का फैसला लेने के लिए 4 महीने की समय सीमा तय की है। अगर इस दौरान प्रधानमंत्री या सक्षम अधिकारी कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, तो इसे जांच शुरू करने की मजबूरी माना जाएगा।

हालांकि कोर्ट ने संसद से अपील की है कि जांच की अनुमति न मिलने पर क्या हो, इसका फैसला संसद करे। वह इस बारे में समय सीमा तय करे। जरूरत पड़ने पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नया कानून भी बनवाए। जस्टिस जीएस सिंधवी और जस्टिस एके गांगुली की बैंच ने डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अर्जी दाखिल करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले से केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 में समय सीमा जोड़ने पर विचार कर सकती है।

(दि. भा., 01.02.12)

फैसले का महत्व

- राजनीति के चलते जगह-जगह जांच नहीं अटकेगी।
- लोकसेवक के खिलाफ शिकायत का संवैधानिक अधिकार होने की पुष्टि।
- केन्द्र-राज्य नहीं लटका सकेंगे शिकायतें। तय समय में जांच का फैसला लेने का दबाव।

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली गाँश (रुपए में)	स्रोत
भरतपुर	जगत सिंह	ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत गंगोरा, भरतपुर	5,000	रा.प., 12.01.12
चूरू	रणवीरसिंह चौधरी नंजीर खां	सहायक पुलिस उप निरीक्षक, भानीपुरा थाना, चूरू हवलदार, भानीपुरा थाना, चूरू	15,000	रा.प., 14.01.12
जोधपुर	नरेश बोथरा	वरिष्ठ अंकेक्षक (ऑफिट) एयरफोर्स स्टेशन, जोधपुर	1,000	रा.प., 15.01.12
भरतपुर	सुनिता सिंधल	महिला सुपरवाइजर, सीडीपीओ कार्यालय, सेवर	5,000	दै.भा.एवं रा.प., 19.01.12
जयपुर	देवेन्द्रपाल सिंह	डवलपर्मेंट ऑफिसर, खादी ग्रामोद्योग आयोग स्टेट इकाई	10,000	दै.भा.एवं रा.प., 21.01.12
चित्तौड़गढ़	दुर्गाशंकर शर्मा	थानाप्रभारी का जीप चालक, भैसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़	3,500	रा.प., 22.01.12
राजसमन्द	मधुकान्ता शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, देवगढ़	2,000	रा.प., 24.01.12
जयपुर	संदीप कुमार जैन	एरिया सेल्स मेनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.	20,000	दै.भा., 25.01.12
श्रीगंगानगर	जगराम मीणा	प्रबंधक, गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक, रामसिंहपुर शाखा	3,000	रा.प., 26.01.12
जयपुर	यादराम गुर्जर	सहायक उप निरीक्षक, बरसी थाना, जयपुर	1,000	रा.प. एवं दै.भा., 01.02.12
नागौर	राम रतन जाट	पटवारी, भैरुन्दा ग्राम पंचायत, नागौर	3,500	रा.प., 07.02.12
टोंक	प्रहलाद गुर्जर	कृषि पर्यवेक्षक, हथौना पंचायत, टोंक	1,000	रा.प., 07.02.12
श्रीगंगानगर	रणवीर सोनी राजेन्द्र विश्नोई	ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत 8 पीएसडी, श्रीगंगानगर साथी कर्मचारी	2,000	रा.प., 11.02.12
झालावाड़	प्रेमपाल सिंह	सचिव, कुण्डीखेड़ा ग्राम पंचायत, झालावाड़	1,500	रा.प., 11.02.12
बीकानेर	रविन्द्र राय मेहता	पटवारी, भू-अभिलेखागार कार्यालय, बीकानेर	1,000	रा.प., 16.02.12
अलवर	माम चन्द भाग चन्द	उप निरीक्षक, तिजारा पुलिस, अलवर कांस्टेबल, तिजारा पुलिस, अलवर	10,000	रा.प., 22.02.12
बीकानेर	विश्वाम्भर दयाल गुप्ता	कार्यवाहक डीजीएम, राज.स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लि.	1,00,000	रा.प., 14.03.12
भीलवाड़ा	राजकुमार खेमचंदनी मदनगोपाल शर्मा	सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. कनिष्ठ अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	20,000	दै.भा., 21.03.12
सिरोही	रघुवीरदयाल मीणा	तहसीलदार, आबूरोड, सिरोही	5,000	रा.प. एवं दै.भा., 25.03.12
बीकानेर	भागीरथ आचार्य	ग्रामसेवक, रुनिया, बीकानेर	4,000	दै.भा., 25.03.12
चित्तौड़गढ़	राम सिंह बंजारा	सरपंच, मोरवन ग्राम पंचायत, चित्तौड़गढ़	4,000	रा.प., 26.03.12
भीलवाड़ा	राधेश्याम स्वामी	तहसीलदार, बदनौर, भीलवाड़ा	10,000	दै.भा. एवं रा.प., 28.03.12
जयपुर	नारायणदास महेश्वरी	जैईएन, देवस्थान विभाग, उदयपुर	28,000	दै.भा. एवं रा.प., 30.03.12

